न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार गढ़सीसोड़ जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 62/2019 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सम्पत्ति

राजस्थान सरकार जरिये बनाम श्री जगदीश सिंह भाणा सिंह

पटवारी हल्का तगुणानी जाति राजपूत निवासी तगुणानी

तहसील गढ़सीसोड़ जिला बाड़मेर

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गढ़सीसोड़ में पेश हुई गैरसायल की ... पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तगुणानी ... प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने मार्फत तगुणानी ... के खसरा नं. 1065/251 रकबा 204.09 बीघा में से 5 बीघा किस्म बारानी ... अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल का जरिये आदेश बेदखली कार्रवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन ... नोटिस जारी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किए जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पचास ... आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू-अभिलेख ... को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर ... की तत्काल कब्जा वहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द ... में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह ... बेदखल कर भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आख्या ... करे। पत्रावली ... को मार्फ कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 18.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गढ़सीसोड़

जुर्माना 50 फसल नि. ...
कुल योग 55 रजि. के पृष्ठ सं. 52
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

Scanned with CamScanner